

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज-43/2022-105 पटना, दिनांक: 10/05/2023

आदेश

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 101-11 दिनांक 28.03.2023 द्वारा श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02173) के विरुद्ध ये प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 03.12.2022 से अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इस अनुपस्थिति के विरुद्ध शिविर प्रभारी द्वारा उन्हें यह सूचित किया गया है कि इनसे प्रथम एवं द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है, फिर भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं। समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 4220 दिनांक 11.05.2023 द्वारा आरोपित से 03 (तीन) दिनों के अन्दर इस शर्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी आरोपित द्वारा 01 माह की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है और न ही कर्तव्य पर उपस्थिति की कोई सूचना है। इनका कृत्य अनुशासनहीनता, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रतिवेदित आरोप एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित द्वारा स्पष्ट निदेश के बावजूद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जाना प्रथम दृष्टया इनपर प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है। साथ ही इनके द्वारा योगदान आवेदन देकर योगदान नहीं किया जाना भी इनका मनमानेपन के साथ-साथ स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना सरकार की बाध्यता है। इनके अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से सरकार की महत्वपूर्ण समयबद्ध कार्यक्रम बाधित हुआ है। ऐसे संविदा कर्मी को आगे भी सेवा में बनाए रखने से इसका प्रभाव अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर भी पड़ सकता है। अतः इनका संविदा नियोजन बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)" के आलोक में श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02173) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक 10/05/2023

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज-43/2022-105 पटना, दिनांक 10/05/2023

प्रतिलिपि :- श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02173), बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज-43/2022.....पटना, दिनांक :-
प्रतिलिपि :- समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय,
किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5605

10/07/2023

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज-43/2022.....पटना, दिनांक :-
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री कुमार की निजी संचिका में
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप